तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6-1-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित सरकार पेशकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता एवं सरकार पेशकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन करने से पाया गया की प्रार्थिया मनभरबाई प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा रास्ते बाबत अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधि. में प्रार्थना पत्र पेश किया जो बिना जांच पड़ताल के दर्ज रजिस्टर कर लिया गया। प्रार्थीया द्वारा ख.न. 81 में ~~सस्म~~ आनेजाने हेतु रास्ता चाहा गया जो कि प्रार्थीया व अप्रार्थी स.1 लक्ष्मण आत्मज भग्या व अन्य सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है. प्रार्थीया सहखातेदार होने के कारण नियमानुसार रास्ता प्रस्तावित नही किया जा सकता। प्रार्थीय को अन्तर्गत 251 क R.T.A के तहत प्रार्थना पत्र के स्थान पर अन्तर्गत धारा 53 R.T.A के तहत बटवारा कराने का वाद न्यायालय में पेश करना चाहिए था - सहखातेदारो के मध्य वस्त बटवारा किये जाने पर रास्ता दिये जाने का प्रावधान होने से प्रार्थीया प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नही होने से प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है. पत्रावली कैंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बूंदी)

कार्यालय श्रीमान उपखण्ड ... लाखेरी, जिला-बूंदी ... क्रमांक-मु0उ0खि0/20 ... प्रतिलिपि-